

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग-ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)  
Office of the Executive Engineer, C.D, P.W.D. Ukhimath



E-Mail: ukhimathpwd@yahoo.in

Phone & Fax:- 01364-284239

पत्रांक 2733 / 13 सी०  
सेवा में,

दिनांक 25 / 09 / 2018

उपवन संरक्षक,  
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग  
रूद्रप्रयाग

विषय:- जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत जूगासू मोटर मार्ग से बुखा तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.358 हे० वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।  
सन्दर्भ:- वन संरक्षक, भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र) देहरादून का पत्र संख्या 08बी०/यू०सी०पी०/06/254/2016/एफ०सी०/1335 दि० 06-11-2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत करना है कि उक्त मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु शैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुयी है। शैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत् प्रेषित है:-

- शर्त संख्या 1:- खण्ड द्वारा दस गुना (35X10=350) वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु रू० 385000.00 मात्र का भुगतान वन विभाग के पक्ष में जमा किया जा चुका है। (Bank's Transaction No. 323720180904283000 Dated 12-09-2018 संलग्न है)
- शर्त संख्या 2:- खण्ड द्वारा N.P.V की धनराशि रू० 235206.00 मात्र का भुगतान वन विभाग के पक्ष में जमा किया जा चुका है। (Bank's Transaction No. 323720180904283000 Dated 12-09-2018 संलग्न है)
- शर्त संख्या 3:- N.P.V की दरों में बढ़ोतरी से सम्बन्धित बचनवद्धता का प्रमाण-पत्र पूर्व में ही प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 77 पर संलग्न है। पुनः छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।
- शर्त संख्या 4:- खण्ड द्वारा समस्त देयकों जैसों दस गुना वृक्षारोपण व 10 वर्षों तक रख रखाव एवं N.P.V की धनराशि का पूर्ण भुगतान रू० 620206.00 वन विभाग के पक्ष में दिये गये निर्देशानुसार जमा कर लिया गया है। व ऑनलाईन प्राप्त पावती रशीट (जिसमें जमा की गई धनराशि का विवरण दिया गया है) सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है।
- शर्त संख्या 5:- सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां सम्भव हो रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण किया जायेगा इस आशय का बचन बढ़ता का प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (प्रमाण-पत्र संलग्न है)
- शर्त संख्या 6:- प्रस्तावित मोटर मार्ग के डिजिटल (जियो रिफरेंस) व टोपोशीट मानचित्रों की मूलप्रति पूर्व में ही इस कार्यालय के पत्र संख्या 2714/13दिनांक 14-09-2017 द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं जोड़ल अधिकारी, वन संरक्षण इन्डिया नगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को प्रेषित किये जा चुके हैं। (पत्र की छायाप्रति संलग्न)

क्र०सं०-2.....

९/८

शर्त संख्या 7:- प्रस्तावित मोटर मार्ग के वन अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित प्रमाण-पत्रों की मूलप्रति पूर्व में ही प्रस्ताव में संलग्न कर इस कार्यालय के पत्र संख्या 2599/13दिनांक 11-08-2016 द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्डिया नगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को प्रेषित किये जा चुके हैं। (पत्र की छायाप्रति संलग्न)

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया विषयवर्णित प्रकरण पर विधिवत् स्वीकृति हेतु अपने स्तर से अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय,


o/c

  
(श्री मनीज दास)

अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग

ऊखीमठ, (रूद्रप्रयाग)



दिनांक 25 /09/2018

पत्रांक 2733 /13 सी०

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:---

- 1- जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, शिविल वृत्त लो०नि०वि० रूद्रप्रयाग।

o/c

  
अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग

ऊखीमठ, (रूद्रप्रयाग)



भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र)  
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001  
दूरभाष: 0135-2650809  
फैक्स-0135-2653010  
ईमेल - [moef.ddn@gov.in](mailto:moef.ddn@gov.in)



GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS &  
CLIMATE CHANGE  
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)  
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001  
PHONE- 0135-2650809  
FAX- 0135-2653010  
Email- [moef.ddn@gov.in](mailto:moef.ddn@gov.in)

पत्र सं० 08बी/यू०सी०पी०/०६/२५४/२०१६/एफ०सी० | 1335

दिनांक 06/11/2017

सेवा में,

सचिव (वन),  
उत्तराखण्ड शासन,  
सुभाष रोड, देहरादून।

**विषय :** जनपद - रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत जुगासू मोटर मार्ग से बुखा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.358 हे० वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

**सन्दर्भ:** अपर सचिव, उत्तराखण्ड की पत्र संख्या-1188/X-4-16/1(376)/2016 दिनांक 05.12.2016

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No. FP/UK/ROAD/13419/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड के सन्दर्भित पत्र के अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत जुगासू मोटर मार्ग से बुखा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.358 हे० वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 350 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMP) के तदर्थ निकाय खाते में **Online Portal** के माध्यम द्वारा जो चालान **Generate** होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।
5. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।
6. राज्य सरकार online para C(iv) Part-I पर upload किए गए प्रस्तावित मोटर मार्ग के digital map की मूल प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करेगी।
7. राज्य सरकार वन अधिकार प्रमाण पत्र की मूल प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करेगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं विन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तों सहित निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जायेगी:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर०सी०सी० पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
6. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
7. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
8. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 35 से अधिक न हो।
9. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी।
10. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
11. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
12. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तों का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,  
  
 (एम.एस. नेगी)  
 वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ०सी०), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

/  
 (एम.एस. नेगी)  
 वन संरक्षक

04/09/2018

Challan

## AGENCY COPY



 Corporation Bank  
 A Premier Public Sector Bank

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 04-09-2018

|   |  |
|---|--|
| Client Code.  | CAM5089  |
| Location.   | UTTARANCHAL  |
| Remitter Name.  | EEDPWDUKM  |
| PIF/Application No.   | 6113419513   |
| MoEF/SG File No.  | 8B/UCP/06/254/2016/FC  |
| Address.  | EXECUTIVE ENGINEER,<br>CONST. DIVISION, PWD<br>UKHIMATH, Rudraprayag |
| Remitter Contact No.<br>Email-Id.<br>Mobile No.<br>Landline No. | ukhimathpwd@yahoo.in<br>9675898652<br>1364-284239                    |
| Amount(in Rs)   | 620206/-   |
| Beneficiary Branch<br>and Code.                                 | Corp Bank Lodhi complex<br>(0371)                                    |

Amount in Words: Six Lakh Twenty Thousand Two Hundred and Six Rupees Only

  
 Depositor Signature  
 (Signature)


|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Bank's Transaction Number | Branch |
| 22720180904283000         | पूराना |

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2
- This challan is valid only for seven days.

## CAMPA-MOEF Copy


 Corporation Bank  
 A Premier Public Sector Bank

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 04-09-2018

|   |  |
|---|--|
| Client Code.  | CAM5089  |
| Location.   | UTTARANCHAL  |
| Remitter Name.  | EEDPWDUKM  |
| PIF/Application No.   | 6113419513   |
| MoEF/SG File No.  | 8B/UCP/06/254/2016/FC  |
| Address.  | EXECUTIVE ENGINEER,<br>CONST. DIVISION, PWD<br>UKHIMATH, Rudraprayag |
| Remitter Contact No.<br>Email-Id.<br>Mobile No.<br>Landline No. | ukhimathpwd@yahoo.in<br>9675898652<br>1364-284239                    |
| Amount(in Rs)   | 620206/-   |
| Beneficiary Branch<br>and Code.                                 | Corp Bank Lodhi complex<br>(0371)                                    |

Amount in Words: Six Lakh Twenty Thousand Two Hundred and Six Rupees Only

  
 Depositor Signature  
 (Signature)


|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Bank's Transaction Number | Branch |
| 22720180904283000         | पूराना |

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdesk@corpbank.co.uk

प्रपत्र-43

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में  
जुगासू मोटर मार्ग से बुरवा मोटर मार्ग का निर्माण।

---

एन. पी.वी. की बढी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशी जमा  
कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन०पी०वी० की देय धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा एन०पी०वी० की धनराशि में कोई बढोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि भी लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।



कनिष्ठ अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,  
ऊख्रीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,  
ऊख्रीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिशाली अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,  
ऊख्रीमठ (रुद्रप्रयाग)


|   |                  |            |             |   |  |  |                                    |
|---|------------------|------------|-------------|---|--|--|------------------------------------|
| FP/UK/ROAD/13419/2015<br>Jugasu-Burwa Motor<br>Road | ROAD134192015513 | 6113419513 | 06 Nov 2017 | CA: 0/-<br>PCA: 0/-<br>Safety Zone: 0/-<br>NPV: 235206/-<br>Other charges1 0/-<br>:<br>Other charges2 0/-<br>:<br>Other charges3 0/-<br>:<br>Total : 620206/-<br>Addl CA : 0/-<br>CAT : 0/-<br>Addl PA : 0/-<br>Ten year Plantation(35X10)385000/-<br>: | <input checked="" type="checkbox"/> Paid | Fund Demand<br>Verified by : 22 Jul 2018<br>Nodal Officer On<br>Bank Name : Corporation Bank<br>Mode of Payment : Bank (Challan)<br>Challan Generated On : 04 Sep 2018<br>Transaction Date : 12 Sep 2018 | Demand Letter<br>Generated Challan |
|---|------------------|------------|-------------|---|--|--|------------------------------------|

मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण किये जाने का


प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में जुगासू मोटर मार्ग से बुरवा मोटर मार्ग का निर्माण।


प्रमाणित किया जाता है कि मार्ग निर्माण के पश्चात् मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर जहां-जहां सम्भव हो सके प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा उचित वृक्षारोपण किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग  
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग  
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिसासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग  
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग-ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)  
Office of the Executive Engineer, C.D, P.W.D. Ukhimath



E-Mail: [ukhimathpwd@yahoo.in](mailto:ukhimathpwd@yahoo.in)

Phone & Fax:- 01364-284239

पत्रांक / 13 सी०

दिनांक / /2017

सेवा में,

उप वन संरक्षक,  
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग  
रूद्रप्रयाग

विषय:- राज्य योजना के अन्तर्गत जुगासु से बुखा तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.358 है० वनभूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण पत्रावली पर लगायी गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

आनलाईन प्रपोजल सं०:- (FP/UK/ROAD/13419/2015)

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर भारत सरकार (क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून) द्वारा लगायी गयी ऑनलाईन आपत्तियों का निराकरण निम्नवत् कर दिया गया है:-

| Sl.No. | Objections   | Clarifications  |
|--------|--|---|
| 1      | The authority letter is not uploaded in favour of the applicant in online Part I.  | Corrected Authority letter is uploaded online at a-3 PART -1 of form -A   |
| 2      | In online Part I the State Govt may review the information provided in the column where total period for which forest land is proposed to be diverted mentioned and necessary correction to be done.   | Corrections has been made online part I in Serial A1 of form A.   |
| 3      | In the geo referenced digital map of the area proposed for diversion, uploaded at C (iv) Part I online, geo coordinates are show non Google earth image which does not serve the purpose. May provide/upload scanned copy of geo referenced digital map to the exact scale of the proposed road showing geo coordinates at 200 to 300 m interval along the alignment including all turning points.   | Geo Reference map to the exact scale showing geo coordinates at 200 to 300 m interval along the alignment has been uploaded in serial C form A.   |
| 4      | The State Govt may provide revised document in original including authenticated copy of Part I, II, III, IV and V as in online web portal to this office through the State Govt.   | Revised document in original has been attached herewith.  |
| 5      | In the KML map it appears that plenty of non forest land/area devoid of vegetation is available and there is possibility to change the existing alignment in order to reduce the unnecessary length of the road to connect the target village directl. The State Govt may comment on this and explainthatwhy the turn of the proposed alignment is passing through the forest as no population/habitation is seen in KML map along the proposed alignment. | If we avoid alignment in forest land after 450 meters the number of hair pin bend will be more than one and spacing between them will be less than the engineering norms. Also some villagers are not willing to give their lands near the village. Thus the proposed alignment as shown in KML is the only option. |

क्र०सं०-2 पर

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त प्रस्ताव पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

- संलग्न:- 1- जियो रिफरेन्स मानचित्र 1 न०  
2 - टोपोशीट मानचित्र 1 न०  
3 - नामित प्रमाण-पत्र 1 न०

भवदीय,

अधिशारी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग  
ऊखीमठ, (रूद्रप्रयाग)

पत्रांक 2714 / 13 सी०

दिनांक 14 / 04 / 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

- 1- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून को ऑनलाईन अपलोड किये गये दस्तावेजों की मूल प्रति सहित तीन-तीन प्रतियों में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 2- जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग

P-C Anested

S.A.

सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०  
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

अधिशारी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग  
ऊखीमठ, (रूद्रप्रयाग)

Janki



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग-ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)  
Office of the Executive Engineer, C.D, P.W.D. Ukhimath



E-Mail: [ukhimathpwd@yahoo.in](mailto:ukhimathpwd@yahoo.in)

Phone & Fax:- 01364-284239

पत्रांक 2599 / 13 सी०  
सेवा में,

दिनांक 11 / 08 / 2016

प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी  
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी देहरादून,

विषय:- जनपद रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में जुगासू मोटर मार्ग से बुरवा मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.358 है० वनभूमि का लो० नि० वि० को हस्तान्तरण।

Proposal No:- FP/UK/ROAD/13419/2015

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग की वनभूमि हस्तान्तरण पत्रावली (Proposal Number FP/UK/ROAD/13419/2015) समस्त औपचारिकताओं के उपरान्त मूल प्रति सहित तीन प्रतियों में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित की जा रही है।

संलग्न प्रस्ताव 1 (एक) - 3(तीन) प्रतियों में

भवदीय,

(ड० मनोज दास)

अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग  
ऊखीमठ, (रूद्रप्रयाग)

e/c

पत्रांक 2599 / 13 सी०

दिनांक 11 / 08 / 2016

प्रतिलिपि- जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

(ड० मनोज दास)

अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग  
ऊखीमठ, (रूद्रप्रयाग)

e/c

P.C. Attested

सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०  
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)